कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जबलपुर (म.प्र.)

क्रं./ 843 /आईडीएसपी/2020-21 /कलेक्टर/स्टेनो

जबलपुर, दिनांक 02 जून 2020

// आदेश //

परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है । म.प्र.शासन लोक पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है । पूर्व में जारी आदेशों के माध्यम से कार्यालय द्वारा उक्त के संबंध में 1949 के Section 71(2) में प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदेत्त किये जा चुके हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रं./ प्र.स./ स्वास/ सत्रह/मेडि-३/ 596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट कफर्यू के आदेश जारी किये गये हैं । संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक /आईडीएसपी/2020/272, दिनांक 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक /एफ 10-02/202017 मेडी-2, भोपाल दिनांक 07.03.2020 के परिपेक्ष्य में म.प्र.

71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार कन्टेनमेंट ज़ोन घोषित करने का आदेश पारित करता हूं : जोन घोषित करना आवश्यक हो गया है। अतः, मैं भरत यादव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जबलपुर म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं जिला जबलपुर की वर्तमान स्थिति को देखते हुथे पूर्व में घोषित किथे गए क्लस्टर कन्टेनमेन्ट ज़ोन के अतिरिक्त 01 क्लस्टर कन्टेनमेन्ट

, 3H	Name of the Containment Zone	Ward Name	Ward No	Area Comes in Containment Zone
28	28 छोटी ओमती	मदन मोहन मालवीय वार्ड	52	छोटी ओमती, उडिया मोहल्ला
29	29 पुत्रीशाला	मदन मोहन मालवीय वार्ड	52	खलासी लाईन

उपरोक्त CONTAINMENT ZONE का मानचित्र / MAP इस लिंक पर उपलब्ध है : http://goo.gl/maps/gNRMQAFRRaSnyHB36

P

2. उपरोक्त कन्टेनमेंट ज़ोन में निम्नानुसार दल गठित किया जाता है :

豖.	CONTAINMENT ZONE का नाम	INCIDENT COMMANDER	POLICE NODAL (TI/CSP)	NAGAR NIGAM NODAL	HEALTH TEAM NODAL	CONTROL ROOM
28	छोटी ओमती	मनीषा बस्कले (SDM)	एस.पी.बघेल (TI ओमती)	राकेश आयाची अपर आयुक्त नगर निगम	डॉ. साक्षी निगम	संभव अयाची सहा.आयुक्त नगर निगम
29	पुत्रीशाला	मनीषा बस्कले (SDM)		राकेश आयाची अपर आयुक्त नगर निगम	डॉ. साक्षी निगम	संभव अयाची सहा.आयुक्त नगर निगम

3 . उपरोक्त दल निम्नानुसार कार्य सम्पादित करेंगे

丣	दल	कार्य का विवरण
1	INCIDENT COMMAND ER/POLICE	 कंटेनमेंट ऐरिया के अंतर्गत आवागमन प्रतिबंधित रखना । समस्त निवासीयों का होम क्वारेंटाईन में रहना सुनिश्चित करना । पूर्व में जारी आदेशों के माध्यम से जो कर्फ्यू लगाया गया ह उसका सही तरीके से क्रियानवयन सुनिश्चित करना कंटेनमेंट ऐरिया को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगो का बाहर जाना प्रतिबंधित रखना।
2	HEALTH	 कंटेनमेंट ऐरिया हेतु सी.एम.एच.ओ. द्वारा गठित विशेष आर.आर.टी. जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलाजिस्ट,पेथालाजिस्ट, माईकोबायोलाजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टाफ रखा जाना होगा व मेडिकल मोबाईल यूनिट जिसके अंतर्गत एक मेडिकल आफिसर एक पेरामेडिकल स्टाफ, लेब टेक्निशियन व डाक्यूमेंटेशन स्टाफ के कार्यों की निरंतर मॉनिटिरंग करना। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाईट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग सुनिश्चित करना। समस्त वार्ड वार फंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता - एलएचबी, ए.एन.एम., आशा आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर (एम.पीडब्ल्यु-टीबी एच व्ही) टीम वाईस एपीसेन्टर से प्रतिटीम पचास घरों का क्षमण कर जानकारी लेते हुये निर्धारित प्रोफार्मा -2 में रिपोर्ट आई.डी.एस.पी नोडल आफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना क्षेत्र के समस्त HIGH RISK व्यक्तियों की प्रोटोकॉल अनुसार सँपिलेंग सुनिश्चित करना।



4 0 F	ω	
CONTROL	NAGAR	
16. समस्त सस्पेक्टेड केस की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करना एवं COVID-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खासी, गले में दर्द एवं स्वांस लेने में तक्लीफ आदि लक्षण आने पर आर आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेगे। 17. जिनको होम क्वारेंटाईन किया गया है उनका प्रतिदिन फालोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक की सस्पेक्टेड केश का रिजल्ट निगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पाजिटिव आता है तो, संबंधित के TRUE कान्टेक्ट को 14 दिन तक होम क्वारेंटाईन में रखना होगा एवं फोलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा। 18. आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की काटेक्ट Vs ट्रैकिंग करते हुये समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम क्वारेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुये संपर्क एवं ट्रैकिंग की रिपॉटिंग किया जाना सुनिश्चित करें।	14. नगर निगम के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा। 15. कन्टेनमेंट जोन में समस्त आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करना	 9. समस्त सस्पेक्टेड केस की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करना एवं COVID-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खासी, गले में दर्द एवं स्वांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेगें। 10. समस्त COVID-19 संक्रमण के पाजिटीव केस के परिजन, निकट संपर्क को प्रोटोकॉल अनुसार संस्थागत/ होम क्वारेटाईन करना। 11. सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल आफिसर /आर आर टी द्वारा परिक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करं। 12. जिनको होम क्वारेटाईन किया गया है उनका प्रतिदिन फालोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक की सस्पेक्टेड केश का रिजल्ट निगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पाजिटिव आता है तो, संबंधित के TRUE कान्टेक्ट को 14 दिन तक होम क्वारेटाईन में रखना होगा एवं फोलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा। 13. आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की काटेक्ट ४ऽ ट्रैकिंग करते हुये समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः संपर्क करया जाकर उन्हें भी होम क्वारेटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुये संपर्क एवं ट्रैकिंग की रिपॉटिंग किया जाना सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त निर्देश

- 1. उपरोक्त समस्त दल मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी COVID19 मार्गदर्शिका के अध्याय 3 एवं 4 में दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे।
- 2. समस्त दल प्रत्येक दिन की रिपोर्ट अपर कलेक्टर श्री संदीप जी.आर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार एवं श्री संजीव उईके को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

कॅलेक्टर जिला - जबलपुर जबलपुर, दिनांक 02 जून 2020

पृ. क्रं./ $43 \, \text{\AA}$ /आईडीएसपी/2020-21 /कलेक्टर/स्टेनो प्रतिलिपि:-

- 1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल।
- 2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3. आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र.भोपाल।
- 4. आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
- 5. पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 6. उप पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- आयुक्त नगर निगम जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
- 9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10. सिविल सर्जन जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 11. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12. सर्व संबंधित की ओर पालनार्थ प्रेषित।

जिला - जंबलपुर